

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सेवा मे ,

प्रथम अपील अधिकारी

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर ।

54815

03/08/2022

विषय :- प्रथम अपील ।

अपील विरुध :- राज्य सूचना अधिकारी ।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
गौतमबुद्ध नगर

अपीलकर्ता :- साहिल चौधरी (एडवोकेट)

चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर

गौतमबुद्ध नगर

Mob.9899642426

6% Abadi

4/8/22

महोदय,

आवेदक ने दिनांक 12/07/2022 को उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी जिसका आवेदन संख्या -20799 थी । ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मांगी गयी सूचना की सही जानकारी नहीं दी है बल्कि सूचना को जवाब मे यह लिखकर भेज दिया की यह ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण मे 6% के विभाग मे भेजे यह कहकर R.T.I का जवाब डाक द्वारा भेज दिया गया जो की जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उलंघन है । साथ ही साथ एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। श्रीमान जी से निवदेन है की मेरी अपील का निस्तारण करने से पूर्व मुझे सूचित करे ।

ऐसी परिस्थिति में आप से अपील है ।

1. मांगी गई पूर्ण वह सही सूचना उपलब्ध कराई जाए ।
2. जिस सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई उन पर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए ।

दिनांक : 3/8/2022

6%

R.T.I-20799  
App No-3558  
04/08/2022

आवेदक

साहिल चौधरी (एडवोकेट)  
चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22  
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर  
गौतमबुद्ध नगर  
Mob.9899642426